He Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 43]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 2, 2005/माभ 13, 1926

No. 43]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2005/MAGHA 13, 1926

वित्त मंत्रालय

(अर्थिक कार्य विभाग)

(भारतीय रिकार्व वैंक)

(क्यिसी मुद्रा विभाग)

(केन्द्रीय कार्यासम्)

अधिसूचना

मुम्बई, 11 जनवरी, 2005

सं. फेमा 128/2005-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध—(प्राप्ति और भुगतान के प्रकार) (संशोधन) विनियमावली, 2005

सा.का.नि. 53(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग तथा समय-समय पर यथा-संशोधित 3 मई, 2000 की उसकी अधिसूचना सं. फेमा 14/2000-आरबी में आंशिक संशोधन करते हुए, भारतीय रिसर्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति और भुगतान के प्रकार) विनियमावली, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

- **1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (i) ये विनियमावली, ''विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति और भुगतान के प्रकार) (संशोधन) विनियमावली, 2005, कहलाएगी।
 - (ii) इन्हें नवम्बर 19, 2004@ से लागू समझा जाएगा।
- 2. विनियमावली में संशोधन : विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति और भुगतान के प्रकार) विनियमावली, 2000 में विनियम 3 और 5 में, तिम्निलिखित संशोधन किए जाएंगे, अर्थात् :
 - (i) विनियम 3 में, उप-विनियम (1) के बाद उप-विनियम (1अ) जोड़ा जाएगा, अर्थात् :— "1(अ) भारत से म्यांमार को निर्यात के मामले में भुगतान, किसी भी मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में अथवा म्यांमार से एशियाई समाशोधन यूनियन तंत्र द्वारा प्राप्त किया जाए।"
 - (ii) विनियम 5 में, उप-विनियम (1) के बाद उप-विनियम (13) जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-''1(अ) म्यांमार से भारत में आयात के मामले में म्यांमार को भुगतान, किसी भी मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में अथवा एशियाई
 समाशोधन यूनियन तंत्र द्वारा किया जाए।''

[फा सं. 1/23/ईएम/2000-खण्ड-III] एफ. आर. जोसफ, मुख्य महाप्रबंधक

@पाद टिप्पणी :

- "ा. यह उस तारीख का उल्लेख हैं जिस तारीख को 19 नवम्बर, 2004 के एपी (डीआईआर सिरीज़) परिपत्र सं. 28 द्वारा प्राधिकृत व्यापारियों को निर्देश जारी किए गए थे।
 - 2. मूल विनियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में दिनांक 5 मई , 2000 के सं. सा.का.नि. 397(अ) में प्रकाशित किए गए और तत्पश्चात् 29 सितंबर, 2003 के सं. सा.का.नि. 772(अ) द्वारा संशोधित किए गए।''

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(RESERVE BANK OF INDIA)

(Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 11th January, 2005

No. FEMA 128/2005-RB

Foreign Exchange Management—(Manner of Receipt and Payment) (Amendment) Regulations, 2005

G.S.R. 53(E).—In exercise of the powers conferred by Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) and in partial modification of its Notification No. FEMA 14/2000-RB dated 3rd May 2000, as amended from time to time, the Reserve Bank of India makes the following amendment in the Foreign Exchange Management (Manner of Receipt and Payment) Regulations, 2000, namely:—

1. Short Title and Commencement:

- (i) These Regulations may be called "the Foreign Exchange Management (Manner of Receipt and Payment) (Amendment) Regulations, 2005."
- (ii) They shall be deemed to have come into force from November 19, 2004@.

2. Amendment of the Regulations:

In the Foreign Exchange Management (Manner of Receipt and Payment) Regulations, 2000:

- (i) In regulation 3, after sub-regulation (1), sub-regulation (1A) shall be inserted, namely:—
 "(1A) In respect of exports from India to Myanmar, payment may be received in any freely convertible currency or through ACU mechanism from Myanmar."
- (ii) In regulation 5, after sub-regulation (1) sub-regulation (1A) shall be inserted, namely:—
 "(1A) In respect of imports into India from Myanmar, payment may be made in any freely convertible currency or through the ACU mechanism to Myanmar."

[F. No. 1/23/EM/2000-Vol.-III]

F. R. JOSEPH, Chief General Manager

@Foot Notes:

- "(1) This has been mentioned as the date on which the directions were issued to Authorised Dealers vide A. P. (DIR Series) Circular No. 28 dated 19th November, 2004.
 - (2) The Principal Regulations were published in the Gazette of India in Part II, Section 3, Sub-section (i) vide No. G.S.R. 397 (E) dated 5th May, 2000, and subsequently amended vide No. G.S.R. 772(E) dated 29th September, 2003."